रा.के.मु.ज.–137–5000–21.

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जोन वाले

शिकायत–पत्र का प्रारूप

यहां पचास पैसे के न्याय शुल्क का टिकिट लगायें

प्रेषिति :

प्रमुख सचिव,
लोकायुक्त सचिवालय,
शासन सचिवालय परिसर, जयपुर

1.	शिकायतकर्ता का नाम एवं पिता/पति का नाम :	
2.	व्यवसाय : (यदि आप नौकरी में हैं तो पद एवं विभाग/संस्था का नाम)	
3.	पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :	एस.टी.डी. कोड.....टेली.नं. ..... मोबाईल नं. ..... ईमेल आई.डी. .....
4.	लोक सेवक, जिसके विरुद्ध शिकायत की जा रही है, उसका नाम, पदनाम एवं कार्यलय का पता :	
5.	शिकायत का सम्पूर्ण बिन्दुवार विवरण :	
6.	चाहे गये समाधान/राहत का विवरण :	
7.	आप जिस प्रकार के साक्ष्य द्वारा अपने आरोप को सिद्ध करना चाहते हैं, उसका विवरण अंकित करें तथा दस्तावेजों की सूची वर्णित कर प्रतियां संलग्न करें :	
8.	यदि इस संबंध में अन्य किसी अधिकारी/विभाग/जांच एजेन्सी आदि के समक्ष शिकायत की गई है तो उसका विवरण अंकित करें :	
9.	यदि विवादित मामला किसी न्यायालय/ ट्रिब्यूनल / जिला मंच/राज्य आयोग/राज्य सूचना आयोग आदि में विचाराधीन है अथवा निर्णित हो गया है, तो उसका विवरण व निर्णय का परिणाम अंकित करें :	
10.	आपकी शिकायत या उससे संबंधित कोई भी सूचना तृतीय पक्ष की दी जाये या नहीं ?	

स्थानः.....

दिनांकः.....

कुल संलग्न पृष्ठों की संख्याः.....

शिकायतकर्ता के पूर्ण हस्ताक्षर

नोटः– 1. कृपया शिकायत पत्र के प्रारूप को भरने से पूर्व पृष्ठ भाग में अंकित दिशा–निर्देशों को सावधानीपूर्णक पढ़ लें।

2. यदि किसी बिन्दू का विवरण विस्तृत है तो पृथक पृष्ठ पर अंकित करते हुए हस्ताक्षर कर संलग्न करें।

सामान्य दिशा–निर्देश

(1) शिकायत केवल राजस्थान राज्य के लोकसेवकों के विरुद्ध ही की जा सकती है।

(2) शिकायतकर्ता स्वयं लोकसेवक नहीं होना चाहिए।

(3) शिकायत प्रपत्र के सभी कॉलमों की पूर्ति आवश्यक रूप से ही जानी चाहिए। आरोपों का विवरण स्पष्ट एवं विशिष्ट रूप में होना चाहिए। विस्तृत विवरण अलग कागज पर संलग्न किया जा सकता है।

(4) शिकायत के समर्थन में 10 रुपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर विधिवत् रूप से तस्दीकशुदा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक।

(5) एक से अधिक शिकायकर्ता होने की स्थिति में किसी एक शिकायकर्ता द्वारा ही शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाना पर्याप्त है।

(6) पांच वर्ष से अधिक पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती है परन्तु लगातार चले आ रहे कृत्य के लिए यह समय–सीमा लागू नहीं होती है।

निम्नलिखित लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं :–

1. न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं कर्मचारी तथा राजस्व न्यायालयों एवं अन्य विभागीय न्यायालयों के वे पीठासीन अधिकारी एवं कर्मचारी जिनके द्वारा न्यायिक हैसियत में कार्य किया गया है।
2. महालेखाकार राजस्थान, राजस्थान लोक सेवा अयोग के अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य, राजस्थान राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त, प्रादेशिक आयुक्त तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान विधान सभा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी।
3. विश्वविद्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी।
4. ग्राम पंचायत के सरपंच एवं पंच क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं परन्तु ग्रामसेवक/सचिव क्षेत्राधिकारी में आते हैं।
5. सूचना के अधिकार (आर.टी.आई.) से संबंधित मामले।
6. व्यक्तिगत विवाद के मामले।

नोट :– व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित होकर शिकायतें प्रस्तुत नहीं की जावें।